राज्यपाल अभिभाषण–2019
अत्यावश्यक/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प0 1 (2) मंमं/2018 जयपुर, दिनांकः 19/12/18

–:: परिपत्र ::–

राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र (बजट सत्र) शीघ्र ही आरम्भ होने की संभावना है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा जावेगा। इस अभिभाषण में यथा संभव राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के कार्य, वर्तमान सरकार के चुनाव घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुये आगामी योजना एवं शेष वर्ष के कार्य नीति–निर्णयों का संक्षिप्त विवरण होगा।

अतः कृपया माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित करने हेतु आपके विभाग से संबंधित सामग्री सरल हिन्दी भाषा में संकलित कर **तीन–तीन प्रतियों में मय साफ्ट कॉपी के** निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमण्डल सचिवालय को **दिनांक 07.01.2019** तक आवश्यक रूप से प्रेषित कराने का श्रम करें:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव अपने अधीन विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दें कि वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित किये जाने योग्य सामग्री तत्काल प्रशासनिक विभाग को भिजवा दें।

2. विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाने वाली उस महत्वपूर्ण सूचना का ही संकलन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना वांछनीय हो और जो विभाग की उपलब्धियों/भावी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती हो।

3. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव अपने स्तर पर केवल उतनी ही सामग्री का अभिभाषण के लिये चयन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना परमावश्यक हो। **यथा संभव संकलित सामग्री 10 लाईन तथा एक पृष्ठ से अधिक ना हो, ताकि उसको अधिक संक्षिप्त करने में मंत्रिमण्डल सचिवालय/सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राज0, जयपुर को अधिक काट–छांट नहीं करनी पड़े।**

4. राज्यपाल अभिभाषण के लिये भेजी जाने वाली सामग्री में जहां कहीं भी उपलब्धियों अथवा धनराशि से संबंधी आंकड़े दिये जावें, वे शब्दों में अंकित किये जावें।

5. भेजी जाने वाली सामग्री पर संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव स्वंय के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

6. अनुभाग/प्रकोष्ठ अभिभाषण की सामग्री सीधे मंत्रिमण्डल सचिवालय को ना भेजकर संबंधित सचिवगण को प्रेषित करें तथा संबंधित सचिव/विभागाध्यक्ष पूर्ण सामग्री एकजाई कर मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करें।

...2...

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें एवं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित की जाने वाली विषय सामग्री सरल हिन्दी भाषा में **दिनांक 07.01.2019 तक मय सॉफ्ट कॉपी** मंत्रिमण्डल सचिवालय को निश्चित रूप से प्रेषित की जावें।

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग/प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प, राजस्थान, जयपुर को मंत्रिमण्डल सचिवालय की वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव